(76)

माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1319-PB2-17 /2017 पुर्नवलोकन

सुमन रियल स्टेट द्वारा पार्टनर प्रवीण पुत्र श्री कांतीलाल जी कटारिया, निवासी चौमुखी पुल रतलाम (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

बी.एस.पी. एसोसिएट्स तर्फे प्रोपराईटर सुनील सिंह पुत्र श्री विजय सिंह परिहार, निवासी 27, सुखदेव नगर, मेन ऐरोड्रम रोड, इन्दौर

.....अनावेदक

पुर्नवलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959, विरुद्ध आदेश दिनांक 11.04.2017 माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल द्वारा निगरानी क्रमांक 1300–पी.बी. आर /2016 में पारित जिसके द्वारा राजस्व निरीक्षक मल्हारगंज जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू निगरानी 1319–पीबीआर/17 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–6–2017	आवेदक द्वारा इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1300–पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 11–4–2017 के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक अभिभाषक को सुना गया। आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र मुख्य रूप से दो बिन्दुओं को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह कि सीमांकन की कार्यवाही हेतु अनावेदक को विधिवत् नोटिस जारी किया गया था तथा सीमांकन उसकी उपस्थिति में हुआ है। दूसरा यह कि बटांकन निरस्ती की कार्यवाही होने के बाद ही उनके द्वारा सीमांकन का आवेदन पत्र दिया गया था। आवेदक द्वारा उठाये गये उक्त बिन्दुओं के प्रकाश में अभिलेख का पुनः परीक्षण किया गया। यद्यपि यह सही है कि सीमांकन की सूचना अनावेदक को दी गई थी तथापि यह भी सही है कि जो सूचना पत्र जारी किये गये हैं उसकी अन्य पक्षकारों पर तामीली में विसंगतियॉं है। दो पक्षकारों पर तामीली सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से पहले की दिनांक में दर्शाई गई है। इसी प्रकार जब दिनांक 16–3–15 को बटांकन निरस्त किया जा चुका था, तब आवेदक की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा सीमांकन कराये जाने से पहले पुनः बटांकन की कार्यवाही करा ली गई थी। ऐसी स्थिति में बिना बटांकन के की गई सीमांकन की कार्यवाही कैसे तथा किस आधार पर की गई, अभिलेख में यह उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–17 के संबंध में इस पुनर्विलोकन आवेदन में ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है, जिसके आधार पर उक्त आदेश के निष्कर्षों को परिवर्तित किया जा सके। वैसे भी उक्त आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है तथा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक को दुबारा सीमांकन के निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है । अध्यक्ष	